संख्या-58/2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/2014

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 21 दिसम्बर, 2023

विषय:- प्रशासकीय विभागों में वाहन क्रय हेतु वाहनों की निर्धारित क्रय-सीमा/मूल्य में वृद्धि करने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार के समस्त प्रशासकीय विभागों में शासकीय परिवहन के प्रयोगार्थ अम्बेसडर कार के स्थान पर अन्य वाहनों के क्रय विषयक शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014 दिनांक 22.05.2015 निर्गत किया गया था, जिसमें प्रशासकीय विभागों में अम्बेसडर कार के स्थान पर अन्य वाहनों के क्रय हेतु निम्न व्यवस्था है-

मण्डलायुक्त, जिलाधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, रेंज के प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इनोवा वाहन, जिसकी लागत रू0 14.00 लाख से अनधिक होगी, वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते हैं।

तथा

अन्य अधिकारियों के लिये जिन्हें पहले अम्बेसडर कार अनुमन्य थी, उन्हें रू0 7.00 लाख के स्थान पर रू0 8.50 लाख तक मूल्य के वाहन वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते हैं।

2- उक्त शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से लगभग 8 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण वाहनों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण शासनादेश में निर्धारित दरों पर प्रशासकीय विभागों द्वारा वाहन क्रय किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- अत: सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 22.05.2015 में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, रेंज के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जनपद प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के लिए इनोवा वाहन जिसकी लागत 20.00 लाख रूपये से अनधिक होगी, वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते हैं

तथा

अन्य अधिकारियों के लिए जिन्हें पहले अम्बेसडर कार अनुमन्य थी, उनके लिये रू0 8.50 लाख के स्थान पर रू0 12.00 लाख की सीमा तक किसी भी ब्राण्ड के वाहन वित्त विभाग की सहमति से क्रय किया जाना अनुमन्य है।

4- वर्तमान में शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 एवं समय-समय पर यथासंशोधित शासनादेशों द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु जेम पोर्टल की व्यवस्था लागू/अनिवार्य की गयी है। अत: समस्त प्रशासकीय विभाग अन्य सामग्री/सेवाओं की भांति ही वाहन क्रय भी जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से करेंगे।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश के उपर्युक्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पुष्पेंद्र सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in